खाद्य सुरक्षा वाद संख्या–08/2016

राज्य सरकार

बनाम

राजेश शर्मा एवं अन्य, मेसर्स बिग बाजार(Futura Retail Ltd),कोलाकुशमा, सरायढेला, धनबाद

Date of order	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
22.12.20	यह वाद अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 207 दिनांक 11.4.16 द्वारा विपक्षी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 48, 52, 3(i)(ZF), 23, 26 एवं 27 अंतर्गत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। श्री के0पी0सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रांची कैम्प,धनबाद द्वारा विपक्षी के परिसर से दिनांक 02.7.2015 को 500ग्राम X 4 पैकेट 'Dates Crown' का कय कर नमूने प्राप्त किया गया। उक्त नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त 'Dates Crown' की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के धारा–3(1)(Zf) के अंतर्गत Misbranded पाया गया। अभिहित पदाधिकारी–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए विपक्षी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–48, 52, 3(i)(ZF),23, 26 एवं 27 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। सर्वप्रथम विपक्षी से उक्त के संबंध में कारण–पृच्छा की मांग की गयी । विपक्षी उपस्थित होकर कारण–पृच्छा समर्पित किया है। कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, धनबाद द्वारा नमूना प्राप्त करने के कम में गवाह का पंचनामा नहीं किया गया है। उनके द्वारा प्रपत्र–VA Form of Notice of the Food Business Operator में उक्त नमने की विवरणी अर्थात ब्राण्ड का नाम, Date of Manufacture, Best Before date, Batch Number आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही किसी गवाह के समक्ष उक्त नमूने की सिलिंग भी नहीं किया गया है। उक्त नमूने की न तो लेबल और न ही पॉकेट प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि नमूने को स्वच्छ बोतल अथवा Jar में लिया जाना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की छिद्र से हवा का प्रवेश होकर नमूने को आद्र न कर दें। परंतु खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा नमूने को बोतल , Jar अथवा पैकेट में लिया गया है का उल्लेख नहीं किया गया है। उनका कहना है कि उक्त नमूना विश्लेषण में	

Scanned with CamScanner

किसी प्रकार का दोष नहीं पाया गया है। मात्र खाद्य नमूने पर Best Before date, Batch Number की सूचना अंकित नहीं रहने के कारण उसे Misbranded घोषित किया गया है। इस प्रकार अभिहित पदाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 48, 52, 26 एवं 27 की गई अनुशंसा उक्त खाद्य पदार्थ पर लागू नहीं होता है। अतएव उन्होंने उक्त के आधार पर कार्रवाई रद्द करने का अनुरोध किया है।

राज्य के ओर से सहायक लोक अभियोजक का कहना है कि कि विपक्षी के परिसर से 'Dates Crown' का नमूना लिया गया था जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के निर्धारित माप–दण्ड के अनुरूप जांचोंपरांत नहीं पाया गया। इसके लिए विपक्षी दोषी है तथा दण्ड के भागी है।

सहायक लोक अभियोजक एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्त को सुना। साथ ही विपक्षी के कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रांची कैम्प,धनबाद द्वारा विपक्षी के परिसर से दिनांक 02.7.2015 को 500ग्राम X 4 पैकेट 'Dates Crown' का नमूना लिया जिसके लिए 640.00(छः सौ चालीस)रू भुगतान किया है। उक्त नमूने को दो गवाह के समक्ष प्राप्त किया जिसका हस्ताक्षर भुगतान पर्ची में भी है। उक्त नमूने को विधिवत् संग्रह कर विशलेषण हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची भेजा गया है। जहां तक प्रपत्र–VA में नमूने के संबंध Date of Manufacture, Best Before date, Batch Number उल्लेख का प्रश्नगत है। इस संबंध में खाद्य विश्लेषक प्रतिवेदन में उक्त 'Dates Crown' में Batch No and Best Before अस्पष्ट एवं पढ़ने योग्य नहीं पाया गया है। उक्त के आलोक में प्रश्नगत 'Dates Crown' का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के माप–दण्ड के अंतर्गत Misbranded पाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त 'Dates Crown' उनके परिसर से प्राप्त हुआ है जिसके लिए सभी विपक्षी दोषी है। अधिनियम के प्रावधानानुसार मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री नहीं पाये जाने पर उत्पादन, विकय, भण्डार, वितरण एवं आयत करने वाले व्यक्ति स्वंय उसके लिए उत्तरदायी है। अतएव विपक्षी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ,2006 की धारा–52 के अंतर्गत दोषी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के प्रावधान के उल्लंघन करने के निमित्त मात्र 25,000/- (Twenty five thousand Rupees only) रूपये का अर्थ दण्ड दिया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि दण्ड की राशि

का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के कॉश बैंक ड्राफट के माध्यम से, जो अद्योहस्ताक्षरी को भुगतेय होगा, एक पक्ष के अंदर जमा करें। साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को नजातर–उप समाहर्त्ता, धनबाद के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित करें। दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर उसके वसूली हेतु नियम–संगत अन्य अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित करायें।

इस आदेश की प्रतिलिपि उभय पक्षों के साथ–साथ प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, धनबाद तथा नजारत उप–समाहर्त्ता, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

न्यायिक अधिकारी
–सह–
उपायुक्त,धनबाद

न्यायिक अधिकारी
–सह–
उपायुक्त, धनबाद